

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-15/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रघुवीरसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जाति राजपूत निवासी अलाय तहसील व जिला नागौर राज.		<ol style="list-style-type: none"> 1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर। 4. परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्चमार्ग, खण्ड नागौर 5. प्रेभकंवर पत्नी श्री प्रहलादसिंह शेखावत निवासी खुडानिया ते. चिड़ावा जिला झुन्झनू 6. गूलसिंह पुत्र श्री बाघसिंह जाति राजपूत निवासी अलाय, जिला नागौर

उपस्थित-

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा, अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका ।

आदेश

दिनांक: 13-06-2019

1- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के कि.मी. 171/000 से कि.मी. 287/380 (नागौर-बीकानेर खण्ड) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने 2 लाईन सहित पैव्ड शोल्डर को बनाना) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छः(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 सपठित धारा 18 भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 एवं भूमि अवाप्ति पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अन्तर्गत दिनांक 13.02.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 गूलसिंह द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 13.4.17 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, परन्तु दौराने बहस अनुपस्थित रहा है।

2-उभय पक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1284 वाके मौजा अलाय तथा खसरा संख्या 1705 व 2123/1705 वाके मौजा धून्धवालो की ढाणी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 (नागौर-बीकानेर खण्ड) का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि) के लिए भूमि अर्जन किये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भूमि अर्जन के लिए घोषणा की अधिसूचना प्रकाशित होने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1284 वाके मौजा अलाय तथा खसरा संख्या 1705 व 2123/1705 वाके मौजा धून्धवालो की ढाणी स्थित भूमि अधिग्रहित की जा रही है तब प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिलाधीश नागौर के यहां आपत्ति प्रस्तुत की तथा बाद में मुआवजा राशि निर्धारण के समय भी प्रार्थी ने विधि अनुसार तथा नियमानुसार भू अवाप्ति की राशि दिलाये जाने की आपत्ति प्रस्तुत की मगर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने विधि तथा



10
कलक्टर, नागौर

नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं कर कम मुआवजा राशि तय कर अवार्ड परित किया तथा न केवल मुआवजा राशि तय की अपितु खसरा संख्या 1705 व 2123/1705 की भूमि की राशि प्रार्थी को नहीं दिलाकर प्रेमकंवर के नाम मुआवजा राशि का अवार्ड जारी कर दिया जो गलत अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड का नोटिस केवल खसरा संख्या 1284 का अभी लगभग एक मास पहले प्रार्थी को मिला तब प्रार्थी को इस अवार्ड दिनांक 2.5.16 की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा खसरा संख्या 1705 व 2123/1705 की भूमि की राशि का कोई नोटिस प्रार्थी को नहीं मिला। प्रार्थी इस अवार्ड से असन्तुष्ट होकर मुआवजे के सही निर्धारण, पुनः निर्धारण व मुआवजा राशि बढ़ाये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2(1)- ग्राम धूधवालो की ढाणी के खसरा संख्या 1705 तथा 2123/1705 तथा ग्राम अलाय के खसरा संख्या 1284 की मुआवजा राशि व अवार्ड अवैध, अनाधिकृत, विधिविरुद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को समुचित साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये वगैर यानि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से भी अवार्ड अपास्त योग्य है।

2(2)- प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा व अवार्ड राशि की गणना विधि अनुसार नहीं की गई है और न ही विधि अनुसार मुआवजा राशि तय की गई है। प्रार्थी की भूमि पर खड़े पेड़ों की राशि मुआवजा राशि में नहीं जोड़ी गई है और न ही पेड़ों की सही राशि दी गई है। प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि पर कम से कम दस पेड़ खड़े हैं जिनकी प्रत्येक की कीमत पांच हजार रुपये से पचास हजार रुपये होती है जो प्रार्थी को दिलाई जानी चाहिए।

2(3)- प्रार्थी ने खसरा संख्या 1284 की भूमि पर कड़ी मेहनत कर मेड़बन्दी लाखों रुपये खर्च कर तैयार की है तथा उस पर लाखों रुपये लगाकर तारबन्दी की है मगर प्रार्थी को मेड़ व तारबन्दी की कोई राशि नहीं दिलाई गई है। मेड़ के एक लाख व तारबन्दी के एक लाख कुल दो लाख रुपये प्रार्थी को मुआवजा रूप में दिलाये जाने चाहिए।

2(4)- प्रार्थी के खसरा संख्या 1284 के चिपते ही खसरा संख्या 419 आया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिपते हुए ही खसरा संख्या 419 की भूमि बहुत ही कम है और खसरा संख्या 1284 की भूमि ज्यादा है। इन दोनों खसरों में से भूमि अवाप्त की गई है उसमें प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1284 की लगभग 1 बीघा भूमि अवाप्त हुई है जबकि खसरा संख्या 419 की लगभग तीन बिस्वा भूमि ही अवाप्त हुई है। इसके बावजूद खसरा संख्या 1284 की 12 बिस्वा भूमि ही अवाप्त होना बताकर मुआवजा राशि तय की गई है तथा खसरा संख्या 1284 की बाकी लगभग 8 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 419 में शामिल करते हुए 419 के खातेदार को आधा बीघा भूमि की मुआवजा राशि दी जा रही है, जबकि प्रार्थी की इस 8 बिस्वा भूमि की मुआवजा राशि भी प्रार्थी को ही मिलनी चाहिए।

2(5)- खसरा संख्या 1284 की 419 की भूमि की कृषि दर से मुआवजा राशि तय की गई है वह भी कम कृषि दर से की गई है। प्रथमतः यह भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि है तथा इसके चारों तरफ स्थित भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तथा वाणिज्यिक गतिविधियों संचालित हो रही है। इस भूमि के बिल्कुल पास में ही अलाय का रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, पेट्रोल पम्प तथा सैकड़ों व्यवसायिक दुकाने आई हुई है। प्रथमतः वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि होने से प्रार्थी को तीस लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तथा उसकी चार गुना राशि से मुआवजा दिया जाना चाहिए अन्यथा कृषि भूमि की कम से कम पांच लाख रुपये बाजारू दर से चार गुना कर मुआवजा राशि तय की जानी चाहिए। इस भूमि में प्रार्थी का निर्माण कराया हुआ है उसकी कीमत दस लाख रुपये है मगर उसकी भी राशि अत्यधिक कम दिलाई गई है।

2(6)- इसी प्रकार धूधवालों की ढाणी स्थित खसरा संख्या 1705 की एक बीघा प्रार्थी के सहखातेदारी की तथा खसरा संख्या 2123/1705 अकेले प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। खसरा संख्या 1705 प्रेमकंवर के खातेदारी की भूमि थी जिसने आज से कम से कम बीस वर्ष पहले इस भूमि का बेघान मदू कंवर को कर दिया। मदू कंवर से खसरा संख्या 1705 की भूमि की खरीद प्रार्थी और मदनसिंह, मूलसिंह व श्रवणसिंह ने खरीद कर ली थी। खरीद के बाद खसरा संख्या 1705 की



14
कंवर, नाम

भूमि की एक बीघा भूमि सम्मिलित रखते हुए बाकी भूमि का विभाजन प्रार्थी और उसके सहखातेदारों ने इस आवेदन के साथ संलग्न नक्शे में बताये अनुसार कर लिया तथा विभाजन के बाद विभाजित भूमि चारों खातेदारों के अलग-अलग खातेदारी में दर्ज हो गई। मदनसिंह के खातेदारी के खसरा संख्या 2121/1705, मूलसिंह के खातेदारी खसरा संख्या 2122/1705, श्रवणसिंह के खातेदारी खसरा संख्या 2124/1705 तथा प्रार्थी के खातेदारी के खसरा संख्या 2123/1705 है तथा एक बीघा संयुक्त खातेदारी के खसरा संख्या 1705/1895 है। प्रेमकंवर द्वारा बेचान करने के बाद खसरा संख्या 1705 की भूमि प्रेमकंवर के खातेदारी की नहीं होते हुए भी प्रेमकंवर के नाम मुआवजा राशि बनाना और वास्तविक हकदार प्रार्थी व उसके भाई होते हुए भी उनके नाम मुआवजा नहीं बनाने से अवार्ड रद्द, निरस्त व खारिज योग्य है। इस खसरे की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी व मूलसिंह, मदनसिंह, श्रवणसिंह को उनके हिस्से अनुसार दिलाई जानी चाहिए।

2(7)- खसरा संख्या 1705 जिसके अलग अलग बट्टा नम्बर पड़ गये हैं की मुआवजा राशि अवार्ड में शून्य बताई गई है तथा इस खसरे में से सवा दो बीघा भूमि अवाप्त करना बताई गई है। इस भूमि में प्रार्थी और उसके भाईयों के पक्के निर्माण होटलों के करायें हुए हैं। यह भूमि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ काम आ रही है। पास में राजकीय चिकित्सालय विपते ही आया हुआ है। पास में ही बस स्टेण्ड व दुकाने हैं। इस अवाप्त भूमि की निर्माण सहित बाजारू कीमत 80 लाख रुपये है, जिसकी चार गुना राशि कर प्रार्थी को मुआवजा दिलाया जावे।

2(8)- अवार्ड जारी करने से पूर्व भूमि अवाप्ति अधिनियम 1884 व 2013 के अन्तर्गत दावे/क्लेम के निपटारे सम्बन्धी बने आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, इसलिए भी अवार्ड विधि में पोषणीय नहीं है।

2(9)- सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति संबंध में लागू की गई राष्ट्रीय पुर्नवास और पुर्नस्थापन नीति को पूरी तरह से नजरअन्दाज करते हुए अवार्ड राशि दी है, जिसके कारण प्रार्थी अवाप्त नीति के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभों से वंचित हो गया है।

2(10)- प्रार्थी की भूमि राजमार्ग में जाने के बाद बाकी बची शेष भूमि का महत्व अत्यधिक कम हो गया है। शेष बची भूमि का रकबा कम रहने से प्रार्थी के लिए शेष भूमि अनुपयोगी हो गई है ऐसी दशा में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अधिक आंका जाना आवश्यक था, परन्तु ऐसा कुछ भी आंकलन अप्रार्थीगण ने नहीं किया है, जिससे प्रार्थी को भारी कष्ट, वेदना, मानसिंह व शारीरिक संपीडन से गुजरना पड़ा है। इन सभी मद से प्रार्थी अप्रार्थीगण से पांच लाख रुपये अतिरिक्त प्राप्त करने का अधिकारी है।

2(11)- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 3छ(1)(2) के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण करने से पूर्व धारा 3छ(3) की पालना आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा मुआवजा निर्धारण आदेश प्रार्थी से बिना क्लेम आमंत्रित किये इकतरफा आदेश पारित किया गया है जिस कारण प्रार्थी अपना क्लेम निर्धारण से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर पाया और प्रार्थी उक्त कारण से अपने अधिकारों से वंचित रहा है।

2(12)- भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्ति में प्रार्थी को अधिक मुआवजा नहीं देना पड़े इसलिए कृषि भूमि की डीएलसी दर मंगवाकर पश्चावर्ती मदों में वर्णितानुसार अवाप्ति कार्यवाही केवलमात्र दिखावे के लिए की है और अवाप्ति की कार्यवाही में स्वच्छ न्यायिक आचरण की पालना नहीं की है। इस मामले में भूमि अवाप्ति अधिकारी का नैतिक और विधिक दायित्व था कि वह उभय पक्षकारान को साक्ष्य सबूत और सुनवाई का गौका प्रदान कर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों और अधिनियम के अनुसार बाजार दर के आधार पर अवाप्ति की कार्यवाही अमल में लाते। भूमि अवाप्ति अधिकारी की यह जानकारी में था कि विभिन्न न्यायालयों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि डीएलसी दरें केवलमात्र सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन की गणना हेतु मान्य हैं। डीएलसी के आधार पर मुआवजा राशि तय करने का प्रावधान किसी कानून में नहीं है इस विधिक दृष्टिकोण को नजरअन्दाज करते हुए अवार्ड पारित किया गया है।

2(13)- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, भूमि अवाप्ति पुनर्स्थापन व पुर्नवास अधिनियम 2013 के विधिक प्रावधानों, उपबन्धों व नियमों की कोई पालना नहीं की गई,



कमलेश्वर, नागौर

जिसकी पालना करवाकर प्रार्थी बढी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। मुआवजा राशि कम से कम चार गुना से मिलना चाहिए।

2(14)— प्रार्थी को ब्याज राशि सही नहीं दिलाई गई है। प्रार्थी को ब्याज राशि प्रथम बार अखबार में प्रकाशित विज्ञप्ति के दिन से लेकर जब तक प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाये तब तक की अवधि का दिलाया जाना चाहिए मगर यह ब्याज दूसरी बार में अखबार में प्रकाशित विज्ञप्ति की दिनांक से अवार्ड उद्घोषणा की तारीख तक का ही ब्याज दिया गया है, जो गलत दिया गया है। दिनांक 2.5.16 से लेकर अभी 15 दिन पहले नोटिस मिला उससे पहले कोई सूचना अवार्ड की प्रार्थी को नहीं थी तथा अवार्ड घोषणा से लेकर आज तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा निकट भविष्य में भी मुआवजा भुगतान की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए ब्याज राशि वास्तविक भुगतान के दिन तक दिलाया जाना आवश्यक होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 89 का दिनांक 2.5.16 को जारी अवार्ड का पुनर्निर्धारण कर प्रार्थी की मुआवजा राशि बढ़ाकर ग्राम अलाय के खसरा संख्या 1284 की प्रार्थी के खातेदारी की अवाप्त एक बीघा भूमि की मुआवजा राशि एक करोड़ बीस लाख निर्धारित करने तथा खसरा संख्या 1705 व 2123/1705 की कुल राशि तीन करोड़ बीस लाख रुपये निर्धारित कर प्रार्थी के हिस्से की राशि प्रार्थी को तथा अन्य सह खातेदारों की राशि उनको दिलाये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी.एन.जे.(एस.सी.) 2015 पेज 188 से 189, डी.एन.जे.(एस.सी.) 2014 पेज 615 से 621, डी.एन.जे.(एस.सी.) 2013 पेज 833 से 842 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

3—मूलसिंह अप्रार्थी संख्या-6 उपस्थित नहीं हुआ परन्तु उसके द्वारा हस्तागत प्रकरण में दिनांक 13.4.2017 को जवाब में कथन किया गया है कि ग्राम धूधवालो की ढाणी के खसरा नम्बर 2123/1705, 1705 तथा गांव अलाय के खसरा नम्बर 1284 की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए अवाप्त किया गया था।

3(1)— पेड़ो, तारबंदी व मेड़ो की कोई मुआवजा राशि नहीं दिलाई गई है।

3(2)— खसरा नम्बर 1284 प्रार्थी रघुवीरसिंह के खातेदारी की भूमि हैं तथा इस भूमि के चिपते ही खसरा नम्बर 419 अप्रार्थी मूलसिंह के खातेदारी की भूमि हैं। यह दोनों खसरे ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर आये हुए हैं। इन दोनों खसरो की भूमि को भी सड़क चौड़ी करने के लिए अवाप्त किया गया है। खसरा नम्बर 1284 की लगभग 1 बीघा भूमि अवाप्त हुई हैं, लेकिन मुआवजा राशि का निर्धारण खसरा नम्बर 1284 व 419 की भूमि का तय किया गया हैं, वह दोनों ही खसरो की आधी आधी भूमि अवाप्त होना बताकर मुआवजा तय किया गया है। इस कारण से रघुवीरसिंह की अवाप्त की भूमि का मुआवजा जो खसरा नम्बर 1284 की अवाप्त की गई उस 1 बीघा भूमि का मुआवजा राशि रघुवीरसिंह को दिलाई जावे।

3(3)— खसरा नम्बर 1284 व 419 की मुआवजा राशि कृषि दर से तय करके दिलाई गई हैं, जबकि यह भूमि अलाय रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, पेट्रोल पम्प के बिल्कुल नजदीक आई हुई है तथा इसके पास पास सैंकड़ो व्यावसायिक दुकाने चल रही हैं, इसलिए इन दोनों खसरो की भूमि की मुआवजा राशि व्यावसायिक व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि की दर से दिलाई जानी चाहिए।

3(4)— धूधवालो की ढाणी स्थित खसरा नम्बर 1705 की भूमि प्रेमकंवर के खातेदारी की भूमि थी तथा इस भूमि को प्रेमकंवर ने मधुकंवर को बेच दिया था। मधुकंवर से इस भूमि की खरीद मैंने, रघुवीरसिंह, मदनसिंह वगैरह ने कर ली थी, जिससे खसरा नम्बर 1705 की 1 बीघा भूमि को शामिलता खातेदारी मे रखकर ली, बाकी भूमि के अलग अलग दर्ज होकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज हो गई। मुझ अप्रार्थी मूलसिंह के खातेदारी में खसरा नम्बर 2122/1705 की भूमि है। रघुवीरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे की प्रति मुझे मिली, जिसको मैंने देखा है। नक्शे में जो अंकन करके अलग अलग बट्टा नम्बरो की भूमि दर्शाया गया, वह सही दर्शाया गया है।

3(5)— इस भूमि में हम खरीददारो के पक्की होटले बनाई हुई है और भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तथा इसके आ रही है तथा इसके पास राजकिय चिकित्सालय, बस स्टैण्ड व



(Handwritten signature)
क्याक्टर, नागौर

अन्य दुकाने आई हुई है। हम लोगो की बट्टा नम्बरो की भूमि अवाप्त की गई हैं, जिसमे बनी हुई होटले भी शामिल हैं, को अवाप्त किये जाने के बावजूद इस अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिलाया गया हैं, का कथन करते हुऐ जो वाणिज्यिक दर मुआवजा राशि तय कर दिलाई जाने का निवेदन किया है।

4- श्री रमेश कुमार ढाका वकील अप्रार्थी संख्या-5 द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1705 मौजा धुंधवालों की ढाणी के संबंध में जो कथन किये है वो तगाम गलत व अस्वीकार है। प्रार्थी कभी भी मूल खसरा नम्बर 1705 का खातेदार काश्तकार नहीं रहा है। बल्कि मूल खसरा नम्बर 1705 रकबा 22.7 बीघा की खातेदारी प्रेमकंवर की रही है और आज दिन भी खसरा नम्बर 1705 की खातेदारी एकमात्र अप्रार्थी संख्या 5 प्रेमकंवर के नाम से दर्ज है। प्रार्थी रघुवीर सिंह व मूल सिंह, मदनसिंह पुत्र बागसिंह व श्रवण सिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत निवासी अलाय ने खसरा नम्बर 1705/1895 रकबा 25 बीघा भूमि दिनांक 9.7.86 को श्रीमति मदकंवर से खरीदने पर इनके नाम खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात् खसरा नम्बर 1705/1895 रकबा 25 भूमि में से प्रार्थी व उसके भाईयों ने आपसी विभाजन कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2123/1705 रकबा 5.15 बीघा प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई तथा खसरा नम्बर 2121/1705 रकबा 5.15 बीघा मदनसिंह की खातेदारी में, खसरा नम्बर 2122/1705 रकबा 6.15 बीघा मूलसिंह की खातेदारी में व खसरा नम्बर 2124/1705 रकबा 5.15 बीघा श्रवणसिंह की खातेदारी में दर्ज की गई व रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 1705/1895 में यथावत रखा गया। जिस अनुसार ही खातेदारी में दर्ज है। यह कथन गलत है कि खसरा नम्बर 1705 मौजा धुंधवालों की ढाणी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि हो। बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 5 प्रेमकंवर की भूमि है जिसके संबंध में किसी प्रकार का उजर एतराज पेश करने का अधिकारी अप्रार्थी संख्या 5 को है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को खसरा नम्बर 1705 की भूमि के संबंध में उजर एतराज पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 का नाम अवार्ड में आवश्यक आया था किन्तु उससे किसी भी प्रकार की भूमि अवाप्ति नहीं की गई है। और न ही उसका रकबा कम किया गया है बल्कि अवार्ड में अवाप्तशुदा भूमि शून्य अंकित किया गया है। यदि बाद में किसी भी प्रकार की अप्रार्थी संख्या 5 की भूमि अवाप्त निकली है तो उसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 5 अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखते हुऐ जबाब पेश किया है। खसरा नम्बर 1705 की भूमि की राशि कम दी या नहीं दी इस संबंध में प्रार्थी को एतराज करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कथन गलत है कि खसरा नम्बर 1705 की भूमि की राशि प्रार्थी को नहीं दिलवाकर प्रेमकंवर के नाम मुआवजा राशि का अवार्ड जारी कर दिया जो गलत अवार्ड दिया गया हो। बल्कि खसरा नम्बर 1705 की एक मात्र खातेदारी काबिज काश्तकार प्रेमकंवर है तथा खसरा नम्बर 1705 के संबंध में किसी भी प्रकार का अवार्ड पारित किया जाता है तो उसे प्राप्त करने की अधिकारी एक मात्र प्रेमकंवर है। खसरा नम्बर 1705 के संबंध में नोटिस देने की प्रार्थी को कोई आवश्यकता नहीं थी व है। क्योंकि न तो वह खातेदारी व न ही काबिज काश्तकार है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1705 की भूमि के संबंध में आवेदन गलत पेश किया है, जो खारिज किया जावे।

4(1)- प्रार्थी को खसरा नम्बर 1705 मौजा धुंधवालों की ढाणी के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई उजर एतराज पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त भूमि की अप्रार्थी संख्या 5 केवल मात्र एक काबिज काश्तकार व खातेदार है। प्रार्थी ने मिथ्या व बेतुनियाद तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 के विरुद्ध उक्त आवेदन पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

4(2)- प्रार्थी मुझ अप्रार्थी संख्या 5 के विरुद्ध खसरा नम्बर 1705 के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र पेश करने व उसमें से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा पैरा संख्या 3 से 5 में किये गये कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

4(3)- प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मौजा धुंधवालों की ढाणी स्थित खसरा नम्बर 1705 की एक बीघा प्रार्थी के सहखातेदारी की हो। बल्कि खसरा नम्बर 1705 की एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 5 है। यह कथन गलत है कि मदकंवर से खसरा नम्बर 1705 की भूमि प्रार्थी और मदनसिंह, मूलसिंह, व श्रवणसिंह ने खरीद की हो। यह कथन भी गलत है कि खरीद के



14
कमल, नमो

बाद खसरा नम्बर 1705 की भूमि की 1 बीघा भूमि सम्मिलित रखते हुए बाकी भूमि का विभाजन प्रार्थी और उसके सह खातेदारों ने इस आवेदन के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार कर लिया हो, बल्कि मदकंवर ने खसरा नम्बर 1705/1895 की भूमि का विक्रय किया था और प्रार्थी व मदनसिंह, मूलसिंह व श्रवणसिंह ने खसरा नम्बर 1705/1895 का ही विभाजन करवाया था। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 प्रेमकंवर के विरुद्ध केवल मात्र उसे तंग व परेशान करने के लिए उक्त आवेदन पेश किया है। जिसके लिए प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 5 को विशेष हर्जाना दिलाया जाना जरूरी है। इसके अलावा न्यायालय हाजा किसी भी पक्षकार को खातेदार या सहखातेदारी घोषित नहीं कर सकता है न ही इसके लिए सक्षम न्यायालय है। यह कथन गलत है कि प्रेमकंवर द्वारा बेचान करने के बाद खसरा नम्बर 1705 की भूमि प्रेमकंवर के खातेदारी की नहीं होते हुए भी प्रेमकंवर के नाम मुआवजा राशि बनाई हो। यह कथन भी गलत है कि वास्तविक हकदार प्रार्थी व उसके भाई हो और उनके नाम मुआवजा राशि नहीं बनाने से अवार्ड खारिज योग्य हो।

4(4)— खसरा नम्बर 1705 के अलग-अलग बट्टा नम्बर पड़ गये हो बल्कि खसरा नम्बर 1705 मूल आज दिन भी प्रेमकंवर के नाम है। खसरा नम्बर 1705 में किसी भी प्रकार का कोई होटलों का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए खसरा नम्बर 1705 के संबंध में प्रार्थी को उक्त आवेदन पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं था व है। खसरा नम्बर 1705 से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है और न ही खसरा नम्बर 1705 के संबंध में मुआवजा की मांग करने का प्रार्थी को अधिकार है। क्योंकि खसरा नम्बर 1705 अप्रार्थी संख्या 5 प्रेमकंवर के कब्जे का व खातेदारी की भूमि है।

4(5)— खसरा नम्बर 1705 पर अप्रार्थी संख्या 5 प्रेमकंवर का कब्जा काश्त व खातेदारी निरन्तर रूप से चली आ रही है। उक्त मूल खसरा नम्बर 1705 पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त व खातेदारी नहीं रही है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 5 को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन अप्रार्थी संख्या 5 के विरुद्ध पेश किया है, जो खारिज होने योग्य होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

5— राजपैराकार श्री कुन्दरिह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी रघुवीरसिंह के खातेदारी कब्जे की कृषि भूमि खसरा संख्या 1284 में से 2212.49 वर्गमीटर भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। जिसके लिए मुआवजा निर्धारण सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किया जाकर एवार्ड पारित किया गया। खसरा संख्या 1705 ग्राम धूधवालों की ढाणी में स्थित प्रार्थी की भूमि के लिए मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है। खसरा संख्या 1705 में बेचान एवं हिस्सेदारी/बंटवारा आदि का राजस्व रेकार्ड में अंकन भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के समय नहीं होने के कारण श्रीमति प्रेमकंवर पूर्व खातेदार का नामांकन किया गया है। आवश्यक दस्तावेजात प्राप्त कर आगामी कार्यवाही सक्षम स्तर पर की जा रही है। अवधारित मुआवजा राशि को प्रार्थी ने कम बताकर आवेदन/दावा प्रस्तुत किया है तथा खसरा संख्या 1705 में उसके हिस्से 2123/1705 के लिए भी अवार्ड पारित करने का निवेदन किया है।

5(1)— ग्राम अलाय के इस खसरा संख्या-1284 की अधिग्रहित भूमि के लिए पारित मुआवजा एवार्ड तत्समय उपलब्ध करवाये गये राजस्व रेकार्ड के अनुसार अवैध अनधिकृत, विधि विरुद्ध नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है तथा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के क्षेत्राधिकार में हैं।

5(2)— इस अधिग्रहित भूमि में स्थित स्ट्रक्चर एवं पेड़ों की गणना करके नियमानुसार राशि एवार्ड में सम्मिलित की गई है।

5(3)— प्रार्थी की कृषि भूमि पर की गई मेड़ बंदी व तारबंदी का लाभ फसलों को पशुओं से होने वाले उजाड़ से बचाकर प्रार्थी ले चुका है एवं यह तार अपने काम में ले सकती है। इसके लिए अलग से मुआवजा देय नहीं होता है।

5(4)— प्रार्थी की खसरा संख्या 1284 में स्थित भूमि में से सड़क कार्य हेतु अधिसूचित 2212.49 वर्गमीटर भूमि में से 915.00 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है। जिसका मुआवजा अवधारण नियमानुसार सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा किया गया है। खसरा संख्या 419 की अवाप्त भूमि का उपयोग सड़क कार्य हेतु नहीं किया गया है। इसलिए मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है।

5(5)- प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि ही है। वाणिज्यिक संपरिवर्तन नहीं होने से मुआवजा कृषि भूमि की दर से ही देय है, जो सही दिया गया है। भूमि अवाप्ति पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सही मुआवजा निर्धारित किया गया है।

5(6)- धूंधवालों की ढाणी के खसरा संख्या 1705 में से अधिग्रहित भूमि का उपयोग सड़क कार्य के लिए नहीं किया गया। इसलिए मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है।

5(7)- अवाप्त भूमि के लिए पारित अवार्ड हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 व 2013 के अन्तर्गत बने आजात्मक प्रावधानों की पूर्ण पालना की गई है। राष्ट्रीय पुर्नवास और पुर्नस्थापन निति जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू है यथारूप लागू की गई है। देय लागों से प्रार्थी को वंचित नहीं किया गया है।

5(8)- प्रार्थी की अवाप्ति से शेष बची भूमि पूरी तरह से कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है तथा सैद्धन्तिक रूप से इसकी कीमत बढ़ी ही है। इसलिए प्रार्थी को कोई कष्ट, वेदना नहीं हो सकती है।

5(9)- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार धारा 3छ (1) (2) एवं धारा 3छ (3) के प्रावधानों की पूर्ण पालना खसरा संख्या 1284 की भूमि के संबंध में की जा चुकी है। सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्रों में जारी हुई है।

5(10)- मुआवजा निर्धारण के लिए कृषि भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु डी.एल.सी. दरे गंगवाकर उन पर विचार किया जाकर स्वच्छ न्यायिक आवरण की पालना की गई है। प्राकृतिक न्याय की अवहेलना नहीं की गई है।

5(11)- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन अधिनियम 1894, पुनरुत्थापन व पुर्नवास अधिनियम 2013 के विधिक प्रावधानों, उपबन्धों, नियमों की पूर्ण पालना के साथ मुआवजे का निर्धारण किया गया है।

5(12)- प्रार्थी को मुआवजे के लिए अवधारित राशि पर नियमानुसार देय ब्याज का भुगतान प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त खातेदारी के खसरा संख्या 1284 में सड़क विकास कार्य हेतु अधिग्रहित भूमि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा पर्याप्त एवं उचित मुआवजे का अवधारण किया जाकर भुगतान प्रस्तावित किया गया है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने प्रार्थी का संशोधन का दावा निरस्त करने का निवेदन किया है।

6- वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अधोपान्त अवलोकन किया गया, प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते हैं।

6(1)- बीकानेर-नागौर खण्ड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए आंशिक अवार्ड दिनांक 02.05.2016 को जारी किया गया है। इस अवार्ड के तहत हस्तगत प्रकरण में ग्राम अलाय के खसरा नम्बर 1284 में 915.00 वर्गमीटर भूमि किस्म खेती का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल मुआवजा 4,73,438/-रूपये प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम धूंधवालों की ढाणी के खसरा नम्बर 1705 के संबंध में भी पारित अवार्ड दिनांक 02.05.2016 को चुनौती दी गई है व खसरा संख्या 2123/1705 में से भी भूमि अवाप्त होना बताते हुए चुनौती दी गई है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 1705 की खातेदारी एकमात्र अप्रार्थी संख्या 5 प्रेमकंवर के नाम से दर्ज है। प्रार्थी कभी भी उक्त मूल खसरा संख्या 1705 का खातेदार काश्तकार नहीं रहा है। प्रार्थी रघुवीर सिंह व मूलसिंह, मदनसिंह व श्रवणसिंह द्वारा खसरा नम्बर 1705/1895 रकबा 25 बीघा भूमि दिनांक 9.7.86 को श्रीमती मदकंवर से खरीदने पर इनके नाम खातेदारी दर्ज हुई तत्पश्चात उसके भाईयों द्वारा आपसी विभाजन कर लेने पर खसरा नम्बर 2123/1705 रकबा 5.15 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुई है। खसरा नम्बर 1705 के संबंध में अप्रार्थी संख्या-5 का नाम अवार्ड में अवश्य आया था, किन्तु उसमें किसी भी प्रकार की भूमि अवाप्ति नहीं की गई है। इसके अलावा न्यायालय हाजा किसी भी पक्षकार को खातेदार या सह खातेदारी घोषित




कलक्टर, नागौर

नहीं कर सकते हैं, का वकील अप्रार्थी संख्या-5 का कथन उचित प्रतीत होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण उक्त दोनों खसरा नम्बर 1705 व 2123/1705 की भूमि को अवाप्त ही नहीं किया गया है, जो अवार्ड दिनांक 02.05.2016 से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त अवाप्तशुदा भूमि में हिस्से आदि को लेकर कोई विवाद होने पर इस न्यायालय को उक्त संबंध में सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। जहां तक ग्राम अलाय के खसरा नम्बर 1284 में से 915.00 वर्गमीटर भूमि किस्म खेती का अधिग्रहण किया गया है, जिसके संबंध में कुल मुआवजा 4,73,438/-रूपये प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जा चुका है।

6(2)- अवार्ड दिनांक 02.05.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक झोला मारू में दिनांक 03.03.2013, सांध्यज्योति दर्पण में दिनांक 16.03.2013 एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 26.05.2013 को प्रकाशन कर 21 दिन की समयावधि देते हुए आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके तहत उक्त निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों के संबंध में दस्तावेज/सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर देते हुए आपत्तिकताओं की व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियां उचित/ठोस आधारों पर नहीं होने से उन्हें अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 27.11.2013 का दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर संस्करण में दिनांक 30.12.2013 को एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशन करवाया गया। धारा 3जी के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (3) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-कोर्ट/भूमि अवाप्ति/2015/1373 दिनांक 06.05.2015 को सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस में प्रतिकार निर्धारण से पूर्व अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में दावे आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय अखबार राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.05.2015 व दैनिक भास्कर में दिनांक 09.05.2015 को प्रकाशन करवाया गया, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अर्थात् तत्समय निर्धारित समयावधि में प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसी कोई दस्तावेजी एवं अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थी को मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व सुनवाई व साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का वकील प्रार्थी का कथन ठोस आधार पर नहीं है।

6(3)- प्रार्थी द्वारा, प्रार्थी की भूमि पर कम से कम 10 खड़े पेड़ों का प्रति पेड़ 5000/-रूपये की दर से मुआवजा दिलाये जाने को लेकर कथन है। प्रार्थी द्वारा तीन अलग-अलग खसरों की भूमि का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया है, परन्तु किस खसरे में कितने पेड़े थे यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। कम से कम 10 पेड़ होने का कथन भी प्रार्थी द्वारा पेड़ों की संख्या के संबंध में कयास मात्र ही प्रकट होता है। पेड़ों की कीमत का भी कोई तकनीकी एवं विधिक आधार वकील प्रार्थी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है एवं न ही पेड़ों की प्रजाति आदि का उल्लेख किया गया है। जबकि सक्षम अधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त क्लर्कटर नागौर द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 1284 में से अवाप्त की गई भूमि में पाये गये पेड़ों के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में मुआवजा राशि का निर्धारण अवार्ड में किया गया है।

6(4)- प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1284 की भूमि पर मेडबन्दी व तारबन्दी पेटे एक-एक लाख कुल दो लाख का मुआवजा दिलाये जाने को लेकर कथन है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा मेडबन्दी व तारबन्दी अवाप्तशुदा भूमि में स्थित होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा मेडबन्दी व तारबन्दी पेटे प्रार्थी को किस प्रकार से हानि हुई है, तथा क्या अवाप्ति कार्यवाही में तारों की भी अवाप्ति की गई है एवं इनका मुआवजा एक-एक लाख किस प्रकार से देय है, के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। राजपैरोकार के कथनानुसार तार प्रार्थी अपने काम में ले सकता है। इसलिए प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता है।

6(5)- खसरा नम्बर 1284 की 1 बीघा भूमि अवाप्त हुई है, जबकि प्रार्थी की 12 बिस्वा भूमि ही अवाप्त होना बताया है बाकी 8 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 419 में शामिल करते हुए खसरा संख्या 419 के खातेदार को आधा बीघा भूमि की मुआवजा राशि दी जा रही है, जबकि प्रार्थी की इस 8



क्लर्कटर, नागौर

बिस्वा भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी को ही दिलाई जाने तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि होने से तीस लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तथा उसकी चार गुना राशि का मुआवजा देने अन्यथा कृषि भूमि की दर भी कम से कम पांच लाख रुपये बाजारु दर से चार गुना कर मुआवजा राशि तय करने को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है।

6(5)(अ)— उक्त संबंध में राजपैरोकार द्वारा प्रार्थी की खसरा नम्बर 1284 भूमि में से 915.00 वर्गमीटर भूमि ही अवाप्त जाने एवं खसरा नम्बर 419 की अवाप्त भूमि का उपयोग सड़क कार्य हेतु नहीं किया जाने का कथन किया है। उक्त संबंध में अवार्ड दिनांक 02.05.2016 के क्रम संख्या 85 के अनुसार भी खसरा नम्बर 419 के खातेदार के नाम किसी प्रकार के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि जिससे यह साबित हो की प्रार्थी के खसरा नम्बर 1284 में से 1 बीघा भूमि अवाप्त की गई हो तथा जिसमें से आधा बीघा भूमि की मुआवजा राशि खसरा संख्या-419 के खातेदार को दी जा रही हो। वकील प्रार्थी के कथनानुसार अवार्ड में अवाप्ति में दर्शाई गई भूमि से अधिक भूमि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण के उपयोग में ली गई है तो उक्त संबंध में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु की गई BULK ACQUISITION के दौरान कोई प्लॉट/भूखण्ड अवाप्ति से छूट गया हो तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक-NH-11011/30/2016-LA दिनांक 15.03.2016 के तहत प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या-4 के समक्ष कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

6(5)(ब)—प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा उपरोक्तानुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ होने से उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि दिलाये जाने अन्यथा कृषि भूमि की कम से कम पांच लाख रुपये बाजारु दर से चार गुना कर मुआवजा राशि दिलाये जाने को लेकर कथन किया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा की अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खसरा नम्बर 1284 की अवाप्तशुदा भूमि की किसम खेती/कृषि होने तथा एन.एच. 89 बीकानेर रोड (सड़क के पास) स्थित होने से निर्धारित दर 67.98 प्रति वर्गमीटर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि की कम से कम से कम पांच लाख रुपये बाजारु दर से चार गुना दिलाये जाने के संबंध में कोई ठोस तकनीकी एवं विधिक दर नहीं बताई गई है एवं बाजारु दर का चार गुना किस नियम, परिपत्र आदि के अन्तर्गत देय है, इसके संबंध में स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है।

6(6)— वकील प्रार्थी का कथन की भूमि राजमार्ग में जाने के बाद बाकी बची शेष भूमि का महत्व अत्यधिक कम होकर अनुपयोगी हो गई है, जिसका पांच लाख रुपये मुआवजा प्रार्थी अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा भूमि राजमार्ग में जाने के बाद किस प्रकार अनुपयोगी हो गई है, के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं। इसके अलावा उक्त संबंध में पांच लाख रुपये का मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी किन नियमों आदि के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

7—उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर नहीं होने से खारिज किया जाता है। परन्तु अप्रार्थी सं 4 को प्रकरण में इस आदेश के बिन्दु संख्या 6(5) व 6(5)(अ) में दिये गये तथ्यों के अनुसार यदि प्रकरण में अवार्ड में दर्शाई गई भूमि से अधिक भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु उपयोग में ली गई है तो उक्त संबंध में विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं।

8—आदेश सुनाया।



(दिनेश कुमार) (Signature)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
जापुर